# छत्तीसगढ़ शासन
# वित्त विभाग
# महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

क्रमांक 1775/वित्त/ब–4/2017 नया रायपुर, दिनांक 25/02/2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
समस्त कोषालय अधिकारी
छत्तीसगढ़ ।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2016–2017 में समस्त आहरण अधिकारियों द्वारा चेक बुक कोषालयों में जमा करने विषयक ।

संदर्भः– वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 318/ब–1/चार/2002 दिनांक 26.2.2002 (वित्त निर्देश 2002/10)

---

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि संदर्भित पत्र में दिए गए निर्देश को शिथिल करते हुए दिनांक 27 मार्च, 2017 को संध्या 5.00 बजे समस्त चेक आहरण अधिकारी, अपनी चेक बुक कोषालय अधिकारी के पास जमा करेंगे तथा उपयोग किए गए/निरंक चेक का विवरण कोषालय अधिकारी को चेक बुक के साथ देंगे।

(2) दिनांक 27 मार्च, 2017 के बाद ऐसे अपरिहार्य प्रकरणों में, जिनमें कि कतिपय व्ययों को, जो जनहित या प्रशासन के हित में अनिवार्य है, स्थानीय जिलाध्यक्ष के समक्ष पूर्ण प्रकरण व विषयवस्तु औचित्य सहित प्रस्तुत कर भुगतान संबंधी आदेश प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे सभी आदेशों की प्रति संकलित कर अनिवार्यतः वित्त विभाग को उपलब्ध कराई जाए।

(3) 27 मार्च 2017 के उपरांत वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक उपरोक्त निर्देशित प्रक्रिया के अनुसार जिलाध्यक्ष से स्वीकृति प्राप्त प्रकरणों में चेक काटने हेतु कोषालय अधिकारी संबंधित चेक आहरण एवं संवितरण अधिकारी को चेक बुक उपलब्ध करायेगें जिस पर संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी के हस्ताक्षर एवं कोषालय अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जाएगा।

(4) वित्तीय वर्ष के लेन–देन की समाप्ति के पश्चात आहरण एवं संवितरण अधिकारी की अभिस्वीकृति लेकर चेक बुक वापस किया जा सकेगा।

(कमल प्रीत सिंह)
विशेष सचिव

पृ.क्रमांक 1776 / वित्त / ब–4 / 2017 नया रायपुर, दिनांक 25/02/2017

प्रतिलिपि–

1. राज्यपाल, छत्तीसगढ़ के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग / मानव अधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / लोक आयोग, छत्तीसगढ़
6. निज सचिव / निज सहायक, माननीय मंत्री / राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन
7. महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, बिलासपुर
8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
9. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय,
10. प्रमुख सचिव, वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय
11. सचिव / विशेष सचिव, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय
12. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग, स्थापना / अधीक्षण / अभिलेख, मंत्रालय, रायपुर
13. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
14. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, इंद्रावती भवन, नया रायपुर
15. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर एवं अंबिकापुर
16. प्रोग्रामर, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाईट में अपलोड करने हेतु

(अरविन्द कुजूर)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी